

आईआईबीएफ विज्ञान

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 7

अंक सं. : 5

दिसम्बर, 2014

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं / बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां -----	2
बैंकिंग जगत की घटनाएं -----	4
विनियामकों के कथन -----	7
अर्थव्यवस्था -----	9
बीमा -----	9
विदेशी मुद्रा -----	10
उत्पाद एवं गठजोड -----	12
बासेल -III - पूंजी विनियमन -----	12
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी -----	14
शब्दावली -----	15
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां -----	16
संस्थान समाचार-----	16
बाजार की खबरें-----	18

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मर्दें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मर्दों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स समाचार मर्दों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

पेंशन की निरंतरता के लिए शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं

सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त कर्मचारी अब पेंशन की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक वर्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने या विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा जारी जीवित होने का प्रमाणपत्र प्रदान करने के बजाय उनके जीवित होने का प्रमाण अंकीय रूप से (digitally) प्रदान कर सकते हैं। स्वतः प्रमाणन को लागू किए जाने के बाद स्वतः प्रमाणन को लागू किए जाने के बाद पेंशनभोगियों के लिए आधार पर आधारित जीवन प्रमाण सामान्य व्यक्ति के लिए एक और समर्थकारी व्यवस्था है।

उच्च मूल्य वाले चेकों को समाशोधित करने से पहले ग्राहकों को सचेत किया जाएगा

चेक से सम्बन्धित धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से ग्राहकों को फोन काल द्वारा सचेत करने और बैंकेतर चेकों के जरिये उच्च मूल्य वाले भुगतानों को समाशोधित करने से पहले आधार शाखा से संपर्क करने हेतु कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से चेकों के समाशोधन हेतु प्राप्त होने पर भुगतानकर्ता / आहरणकर्ता को एसएमएस चेतावनी भेजने; 2 लाख रुपये से अधिक के चेक के समाशोधन के लिए होने पर उसकी पराबैगनी (UV) लैम्प के तहत जांच करने; तथा 5 लाख रुपये से अधिक के चेकों को समाशोधित करने से पहले बहु-स्तरीय जांच करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा, बैंकों को चेक ट्रंकेशन प्रणाली (CTS) का 100% अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। चेक ट्रंकेशन प्रणाली वातावरण के अधीन चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि माइकर पट्टी पर मौजूद डाटा, प्रस्तुति की तिथि तथा प्रस्तुतकर्ता बैंक आदि जैसी प्रासंगिक सूचनाओं के साथ समाशोधन गृह के माध्यम से आदेशिती शाखा को प्रेषित की जाती है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

गैर-बैंकिंग कम्पनियों के लिए संशोधित विनियामक ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक नियमों से अधिक गहनता से संरेखित करने के लिए नये विनियम जारी किए हैं। 500 करोड़ रुपये से अधिक आस्ति आकार वाली कम्पनियों और जमा स्वीकार करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को मार्च, 2016 के अंत तक 8.5% और मार्च, 2017 के अंत तक 10% तक की न्यूनतम टियर-1 पूंजी जुटानी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन दोनों समूहों वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंकों के समरूप लाने हेतु इनके लिए आस्ति वर्गीकरण मानदंडों को कठोर बना दिया है। यह कार्य 31 मार्च, 2018 तक चरणबद्ध रीति से किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के मामले में सर्वांगी महत्व को परिभाषित करने हेतु न्यूनतम सीमा को भी 100 करोड़ रुपये से संशोधित करके 500 करोड़ रुपये कर दिया है। अशोध्य ऋणों की पहचान करने के लिए बैंकों की भांति उन पर भी 90 दिवसीय अतिदेय मानदंड लागू होगा; गैर-मानक आस्तियों के लिए उच्चतर प्रावधानीकरण करना आवश्यक होगा तथा निदेशकों के लिए 'योग्य एवं उपयुक्त' मानदंड की व्यवस्था करनी आवश्यक होगी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए संशोधित विनियामक ढांचे का उद्देश्य विनियामक अंतरों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र एवं उसके साथ ही अन्य वित्तीय संस्थाओं, दोनों में ही इन अंतरों से पैदा होने वाले अंतरपणन (arbitrage) का निराकरण करना है। वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने, प्रौद्योगिकी अंगीकरण को बढ़ाने तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जटिलताओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे मार्च, 2017 के अंत तक 2 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (NOF) का मानदंड पूरा कर लें।

न्यूनतम शेषराशि में कमी के बारे में ग्राहकों को सूचित करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से उनके ग्राहकों को न्यूनतम शेषराशि में कमी के बारे में काफी समय पहले सूचित करने के लिए कहा है। दंडस्वरूप प्रभार केवल इस प्रकार की शेष राशियों में कमी की सीमा तक ही वसूल किए जाएंगे। इन प्रभारों से सम्बन्धित दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे। प्रभार वसूल करते समय बैंकों को दंडस्वरूप प्रभारों को प्रत्यक्ष रूप से देखने में आई कमी की सीमा के अनुपात में रखते हुए अतिरिक्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। ये प्रभार रखी गई वास्तविक शेषराशि तथा खाता खोलने के समय यथा-सहमत न्यूनतम शेषराशि के बीच अंतर की रकम पर वसूल किए जाने वाले निर्धारित प्रतिशत के रूप में होंगे। प्रभारों की वसूली हेतु एक उपयुक्त पट्टी (slab) वाले ढांचे को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। बैंक और ग्राहक के बीच यथा-सहमत न्यूनतम शेषराशि बनाए रखने में कोई चूक होने की स्थिति में बैंक को एसएमएस / ई-मेल / पत्र द्वारा स्पष्ट रूप से यह सूचित करना चाहिए कि खाते में सूचना की तिथि से एक माह के भीतर न्यूनतम शेषराशि वापस न बनाए रखे जाने पर दंडस्वरूप प्रभार लगाए जाएंगे।

बैंक मूलभूत सुविधा बॉण्डों पर 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान कर सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उनके द्वारा व्यक्तियों को जारी दीर्घावधिक बॉण्डों के समक्ष 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करने की अनुमति दे दी है। इस प्रकार के बॉण्डों में निवेश करने वाले निवेशकों को चलनिधि उपलब्ध कराने में सहायता प्राप्त होगी तथा अल्प-लागत वाले आवास हेतु ऋण मानदंडों में आसानी भी आएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि इस प्रकार के ऋण (प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये की) उच्चतम सीमा के अध्ययन होने चाहिए तथा ऋण की अवधि बॉण्डों की परिपक्वता अवधि के भीतर होनी चाहिए। हालांकि, बैंकों को अन्य बैंकों द्वारा जारी ऐसे बॉण्डों के समक्ष उधार देने की अनुमति नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विभेदक लाइसेंसिकरण की शुरुआत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभेदक बैंकों यथा- भुगतान बैंकों और छोटे बैंकों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए बैंक लाइसेंसिकरण के एक नये युग की शुरुआत की है तथा आगामी वर्ष की पहली तिमाही में लाइसेंसिकरण का पहला दौर पूरा हो जाने के बाद मांग (टैप) पर लाइसेंस देने का वचन दिया है। भुगतान बैंकों, जिनमें खदरा व्यापारियों और सहकारिताओं सहित कई प्रकार के आवेदकों को अनुमति होती है, के लिए व्यापक रूप से अवसर उपलब्ध हैं। किन्तु उनके परिचालन लगभग सभी जमाराशियों के सरकारी बॉण्डों या फिर बैंकों में रखना अनिवार्य कर दिए जाने के परिणामस्वरूप जमाराशियों एवं भुगतान, अंतरण तक ही सीमित रहेंगे।

बाह्य वाणिज्यिक उधार राशियां 6 माह के लिए मीयादी जमाराशियों के रूप में रखी जा सकती हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार राशियों को जमा करने के मानदंड आसान बना दिया है। अब इस प्रकार के ऋण बाद वाले चरण में उपयोग हेतु मीयादी जमाराशियों के रूप में जमा किए जा सकते हैं। मानदंडों के अनुसार भारत में रुपया व्यय के लिए विदेशों में जुटाई गई धनराशि को इस प्रकार के उधारकर्ताओं के रुपया खातों में जमा किए जाने हेतु तत्काल लाई जानी है। बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) के उधारकर्ताओं को आहरण द्वारा कमी (draw down) संरचित करने तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार से प्राप्त होने वाली राशियों का उपयोग करने में अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए अब बैंकों को मात्र बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने वालों को बाह्य वाणिज्यिक उधार से प्राप्त राशियों को अनुमत अंतिम उपयोग किए जाने तक अधिकतम छः माह की अवधि के लिए भारत में बैंकों में जमा करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, इस प्रकार की जमाराशियों को अनन्य रूप से उधारकर्ता के नाम पर रखा जाना आवश्यक है। उन्हें आवश्यकता होने पर परिसमाप्त किया जा सकता है तथा जमाराशियों पर किसी प्रकार का प्रभार नहीं सृजित किया जाना चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

एटीएम उपयोग के नये मानदंड

बचत बैंक खाते के ग्राहकों के लिए अन्य बैंकों के एटीएमों पर निःशुल्क एटीएम लेनदेनों की संख्या 1 नवम्बर, 2014 से घट कर प्रति माह (इसके पूर्व की पांच के समक्ष) तीन लेनदेन रह गई है। इनमें मुंबई, नयी दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, बंगलूर और हैदाराबाद जैसे महानगरीय केन्द्रों में स्थित एटीएमों पर किए जाने वाले वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेनों का समावेश है। हालांकि, यह कटौती छोटे / नो फ्रिल्स/ मूल बचत बैंक खाता धारकों पर नहीं लागू होगी, जो अब तक की सुविधा के अनुसार पांच निःशुल्क लेनदेन की सुविधा का उपयोग करते रहेंगे। छः महानगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बचत बैंक खाता धारकों के लिए पांच निःशुल्क लेनदेन की वर्तमान सुविधा अपरिवर्तित रहेगी।

बैंकों ने वाणिज्यिक वाहनों का वित्तीयन बहाल किया

कुछेक वर्षों की मंद अवधि के बाद बैंकों में वाणिज्यिक वाहनों (CVs) के वित्तीयन को लोकप्रियता हासिल हो रही है। हालांकि, अब आर्थिक पुनरुत्थान की आशाएं बलवती होने के परिणामस्वरूप बैंकर वाणिज्यिक वाहनों की खरीद का वित्तीयन करने के इच्छुक हो रहे हैं। जहां वाणिज्यिक वाहनों की समग्र बिक्री में वर्षानुवर्ष आधार पर लगभग 1% की गिरावट आ गई है, वहीं अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स जैसे विनिर्माता अच्छी बिक्री दर्शा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक वाहनों के ऋण संवितरण में - पिछले कुछेक वर्षों में जिनकी मांग में भी कमी आ गई थी, तेजी आ रही है।

सेबी सूचीबद्ध लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रदत्त अग्रिमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का दर्जा देने का इच्छुक

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने यह प्रस्तावित किया है कि सूचीबद्ध लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को बैंक निधीयन को प्राथमिकता प्राप्त उधार का दर्जा दिया जाए। इस मुहिम से (2012 में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा आरंभ किए गए) लघु एवं मध्यम उद्यम व्यापार प्लेटफार्म को अपेक्षाकृत छोटी कम्पनियों की वित्तीयन आवश्यकताओं को सरल बनाने में अत्यधिक सहायता प्राप्त होगी। बताया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के प्रस्ताव को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से सिद्धांततः अनुमोदन प्राप्त हो गया है, किन्तु यह अब भारतीय रिज़र्व बैंक की भी सहमति के अध्ययन होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुसार बैंकों को अनिवार्य रूप से उनके (पिछले वर्ष के अग्रिमों का) 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देना होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवम्बर में (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम में यथा-परिभाषित) मध्यम आकार वाले विनिर्माण उद्यमों को (नवम्बर के बाद प्रदत्त) 13 करोड़ रुपये की ऋण-सीमा तक के वृद्धिशील बैंक ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम माने जाने की अनुमति दी थी।

बासेल-III में फर्मों और बैंकों के लिए बचाव व्यवस्था को अव्यवहार्य माना गया

बासेल-III मानदंडों में यह कहा गया है कि बैंकों को प्रतिपक्ष ऋण जोखिम (CCR) के लिए पूंजी अलग रखनी होगी तथा ऋण मूल्यांकन समायोजन (CVA), जिसमें व्युत्पन्नी लेनदेनों से जुड़े प्रतिभूतियों के

बाजार मूल्य को वहीं में लिखने (mark to market) से सम्बन्धित जोखिम के समक्ष सुरक्षोपाय किए जाने की जरूरत होती है, के लिए एक अतिरिक्त प्रभार बनाए रखना होगा। अतएव, अपने ग्राहक को विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने तथा उस ऋण को किसी व्युत्पन्नी संविदा के माध्यम से प्रतिरक्षित करने की व्यवस्था करने वाले किसी बैंक को उस लेनदेन तथा उसके साथ ही ऋण मूल्यांकन समायोजन के लिए पूंजी अलग रखनी होगी। उच्चतर पूंजी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए उनके ग्राहकों से उनके एक्सपोजर को प्रतिरक्षित करने हेतु कहना अव्यवहार्य होगा। इससे बैंक की पूंजी जोखिम में पड़ जाती है।

जमा वृद्धि 12% पर मंद, खाद्येतर ऋण बढ़ कर 11.27% हुआ

बैंकिंग प्रणाली की जमाराशियों में वर्षानुवर्ष मात्र 11.69% की वृद्धि दर्ज हुई जिससे वे 31 अक्टूबर, 2014 को समाप्त हुए पखवाड़े में 82,76,945 करोड़ रुपये हो गईं। जहां सावधि जमाराशियां 11.11% की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ 75,19,415 करोड़ रुपये हुईं, वहीं मांग जमाराशियां 13.12% की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ 7,43,760 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गईं। इस बीच, खाद्येतर ऋण 11.27% की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ 31 अक्टूबर, 2014 को समाप्त पखवाड़े में 61,63,646 करोड़ हो गए। 17 अक्टूबर को समाप्त 14 दिन की अवधि में खाद्येतर ऋण वृद्धि वर्षानुवर्ष 11.16% बढ़ कर 55,391.33 करोड़ हो गए।

केरल, गोवा सभी के लिए बैंक खाते सुनिश्चित करने वाले पहले राज्य बनें

केरल और गोवा प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के अनुसार प्रत्येक परिवार को एक मूल बैंक खाते की सुविधा प्रदान करने वाले देश के पहले राज्य बन गए। केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप तथा गुजरात के तीन जिले - पोरबंदर, मेहसाणा और गांधीनगर भी इस श्रेणी में आ गए। 10 नवम्बर, 2014 के दिन प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत 7.24 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें से 4.29 करोड़ खाते ग्रामीण और 2.95 करोड़ खाते शहरी क्षेत्रों में खोले गए। 3.97 करोड़ खातों के लिए रूपे कार्ड जारी किए गए हैं।

वित्त मंत्रालय ने उदारीकृत निक्षेपागार योजना अधिसूचित की

वित्त मंत्रालय ने एक ऐसी उदारीकृत निक्षेपागार रसीद योजना की घोषणा की है, जो 15 दिसम्बर, 2014 से गैर-सूचीबद्ध कम्पनियों की विदेशों से धन जुटाने में सहायता करेगी और निजी इक्विटी धारकों को उनकी धारिताओं को नकदीकृत कराने में समर्थ बनाएगी। निक्षेपागार रसीद से आशय है केवल इक्विटी के वर्तमान प्रावधान के समक्ष इक्विटी, ऋण पत्र अथवा पारस्परिक निधि की यूनिटों जैसी प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लिखत। इन्हें अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जा सकता है या वे गैर-सूचीबद्ध हो सकती हैं। ये रसीदें संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.के., जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, जापान और इटली आदि सहित 34 देशों में जारी की जा सकती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ग्रामीण परिचालन 5 वर्ष में लाभदायक होंगे

भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (CRISIL) के अनुसंधान के अनुसार प्रति शाखा उच्चतर कामकाज तथा कारबार संपर्कियों (BCs) जैसे कारोबारी चैनलों के उपयोग के साथ मिलकर बड़े पैमाने की किफायत पांच वर्ष की समय-सीमा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता को बढ़ा देगी। अनुमानतः पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति शाखा कामकाज में समग्र शाखा नेटवर्क में वार्षिक आधार पर 9% की वृद्धि होने के बावजूद 7% वार्षिक की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि दर्ज हुई है। बड़े पैमाने की किफायतों में अगले पांच वर्षों में वृद्धि आसन्न है।

सरकार द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यमों के बारे में सरल निर्गम एवं पुनरुज्जीवन के मानदंड प्रस्तावित

सरकार ने लघु एवं मध्यम उद्यमों की उनके व्यवसाय को समेकित करने और पूंजी को अन्य संभावनाशील उद्यमों में पुनरभिनिर्गमित करने में सहायता करने हेतु समयबद्ध निर्गम और हानि उठाने वाली इकाइयों के पुनरुज्जीवन वाले जुड़वां उद्देश्यों के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया है। उसने इस सम्बन्ध में नीतियां तैयार करने हेतु प्रस्तावित परिवर्तनों के सम्बन्ध में सुझाव आमंत्रित किए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य दोहरा है : पुनरुज्जीवन : ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो कठिन वित्तीय स्थितियों से निपटने के लिए शीघ्र सहायता चाहते हैं तथा एक ऐसा ढांचा उपलब्ध कराना जिसमें कोई व्यवहार्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनरुज्जीवन के लिए मानक एवं उसके साथ-साथ अनुकूल राहत एवं रियायत प्राप्त कर सके। निर्गम : प्रवर्तकों और गारंटीकर्ताओं को परिसमापन और प्रबन्धन में परिवर्तन के माध्यम से लाभ पहुंचाने हेतु एक आसान एवं त्वरित निर्गम कार्यविधि उपलब्ध कराना।

अप्रैल के द्वितीयार्ध में बैंक ऋणों में वृद्धि

बैंकिंग क्षेत्र में ऋण वृद्धि में तेजी के संकेत परिलक्षित हो रहे हैं। अक्टूबर, 2014 के पहले पखवाड़े में बैंकिंग प्रणाली के ऋणों में 58,797 करोड़ रुपये की गिरावट आ गई थी, किन्तु अब प्रवृत्ति उलटी हो गई है। दूसरे पखवाड़े में ऋण बढ़ कर 52,414 करोड़ रुपये हो गए हैं। अनुसूचित बैंकों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बैंकिंग प्रणाली की जमाराशियां, जिनमें पहले पखवाड़े में 75,395 करोड़ रुपये की गिरावट आ गई थी, दूसरे पखवाड़े में 62,239 करोड़ रुपये बढ़ीं।

विनियामकों के कथन

ऋण प्रणाली में सुधार जरूरी

ऋण प्रणाली में सुधारों का आह्वान करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा

है कि वर्तमान ऋण व्यवस्था बड़े उधारकर्ताओं को संरक्षित करती है तथा इसमें उधार देने और उधार लेने से सम्बन्धित सुधारों की जरूरत है और किसी को बैंकिंग में बेहतर अभिशासन एवं अधिक पारदर्शिता लाने के हमारे प्रयासों को मंद नहीं करना चाहिए।

नये नियमों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की लाभप्रदता पर अल्पकालिक प्रभाव होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी ने कहा है कि बड़े प्रावधानीकरण और संशोधित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए संशोधित विनियामक ढांचे का उनकी लाभप्रदता पर अल्पकालिक प्रभाव होगा। हालांकि, इन मानदंडों के चरणबद्ध कार्यान्वयन से उन पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव को उपधान प्राप्त होने की संभावना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जमा स्वीकरण मानदंडों के आधार पर जमा स्वीकार करने वाली केवल पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को उनके उनके जमा-स्तरों में कमी लानी पड़ सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवम्बर, 2014 से नयी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को लाइसेंस जारी करना पुनः आरंभ कर दिया है, उसने अप्रैल, 2014 से लाइसेंस जारी करना रोक दिया था। नये मानदंडों के परिणामस्वरूप सर्वांगी महत्व को दो व्यापक श्रेणियों में बांट दिया गया है, यथा - 500 करोड़ रुपये से कम आस्ति आकार वाली और 500 करोड़ रुपये से अधिक आस्ति आकार वाली जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां और जमा न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मार्च, 2019 तक 2.5 लाख करोड़ रुपये के निषेचन की दरकार

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस. एस. मूंदड़ा के अनुसार सरकार को बासेल-III, आस्ति गुणवत्ता हेतु प्रावधानीकरण तथा अतिरिक्त जोखिमों सहित विभिन्न प्रकार की पूंजी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए मार्च, 2019 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.5 लाख करोड़ (38.78 बिलियन अमरीकी डालर) रुपये के जितनी रकम लगाने की आवश्यकता होगी। बैंकों को आंतरिक पूंजी सृजित करने के तरीकों की तलाश आरंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया जारी रहने के कारण सरकार से अतिरिक्त निधियां प्राप्त होने की गुंजाइश सीमित होगी।

विनियमन भेदभावपरक नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी के अनुसार देश में कार्यरत विदेशी बैंकों के प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक का विनियामक व्यवहार भेदभाव-रहित है। "भारत ने देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके विस्तार की सजगतापूर्वक अनुमति देते हुए विदेशी बैंकों का स्वागत किया है। विदेशी बैंकों के अनुमत एवं वांछित ढांचे का निर्धारण वर्तमान अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार किया जाता है। विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण कमोबेश सामान्य एवं भेदभाव-रहित हैं।" 1 अप्रैल, 2013 से भारत में 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी ऋणदाताओं को (घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के समरूप) उनके समग्र अग्रिमों के 40% के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य पांच वर्षों में चरणबद्ध रीति से प्राप्त

करना होगा। पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों के माध्यम से भारत में परिचालन करने वाले विदेशी ऋणदाताओं के लिए भी वही लक्ष्य नियत किया गया है। 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए यह लक्ष्य 32% पर अपरिवर्तित रखा गया है।

प्रस्तावित छोटे बैंकों के लिए अखिल भारतीय उपस्थिति

भारतीय रिज़र्व बैंक छोटे बैंकों को इसके पूर्व यथा-प्रस्तावित केवल कुछेक जिलों की बजाय अखिल भारतीय उपस्थिति रखने की अनुमति देगा। छोटे बैंकों के लिए अपने दिशानिर्देशों के प्रारूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह प्रस्तावित किया था कि छोटे बैंकों की उपस्थिति राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के समरूप समूह वाले समीपस्थ जिलों तक सीमित होगी, ताकि बैंकों में स्थानीय बोध एवं संस्कृति मौजूद रहे। इस नयी मुहिम को उन (विशेष रूप से अखिल भारतीय उपस्थिति रखने वाली बड़ी) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो इसके पूर्व अपने आपको छोटे बैंकों में नहीं रूपांतरित कर सकीं। अब इन बैंकों को जमाराशियां स्वीकार करने और मुख्यतः छोटी कम्पनियों को ऋण प्रदान करने की अनुमति होगी। दिशानिर्देशों के प्रारूप के अनुसार भुगतान बैंक और छोटे बैंक, दोनों ही वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने वाले उद्देश्य के साथ प्रमुख अथवा विभेदक बैंक हैं।

अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने जीडीपी वृद्धि की प्रत्याशा घटाकर 5% की

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) ने कमजोर आर्थिक स्थिति तथा वृद्धि की संभावनाओं के प्रति अनिश्चितताओं के आधार पर वर्तमान वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के पूर्वानुमान को घटाकर 5% कर दिया है। इसके पूर्व रिकार्ड स्तर वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों और विदेशी संस्थागत निवेशों के कारण सेंसेक्स में आए उछाल के परिणामस्वरूप आर्थिक विशेषज्ञ समूह ने यह पूर्वानुमान लगाया था कि 2014-15 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5.7% की दर से बढ़ने की संभावना है।

बीमा

बीमाकर्ताओं को एजेन्ट कमीशन बढ़ाने की अनुमति अवश्य दी जाए : इर्डा प्रमुख

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री टी.एस. विजयन ने यह मत व्यक्त किया है कि बीमा कम्पनियों को एजेन्टों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते हुए उन्हें संरक्षित करना होगा तथा इस उद्योग में रोजगार के अवसर सृजित करना होगा। "एजेन्टों के लिए कुछ न कुछ न्यूनतम संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और उन्हें बीमा बेच कर कम से कम प्रति माह 10,000 रुपये

अर्जित करने में समर्थ होना चाहिए। मुझे आशा है कि बीमा विधेयक में कम्पनियों को इस बात की स्वतंत्रता दी जाएगी कि वे खर्चों के सम्बन्ध में एक सीमा निर्धारित करें तथा एजेन्टों को पारिश्रमिक प्रदान करने के सर्वोत्तम तरीके निर्धारित कर सकें। इसके अलावा, उन समग्र प्रभारों के सम्बन्ध में एक सीमा भी होनी चाहिए जो किसी पॉलिसी धारक को देना होता है और यदि कोई कम्पनी अपने शेयरधारकों के खाते से उच्चतर कमीशन का भुगतान करना चाहती हो, तो उसे वैसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।"

अन्य पक्ष मोटर सुरक्षा : इर्डा ने बीमाकर्ताओं के लिए प्रावधानीकरण घटाए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने उस प्रावधानीकरण को मामूली तौर पर घटा दिया है जो सामान्य बीमाकर्ताओं को अन्य पक्ष मोटर बीमे हेतु करना होता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा गठित एक विशेष समिति ने 'घटे जोखिम समूह' (Declined Risk Pool) के रूप में ज्ञात अनुपात की सिफारिश की थी। उक्त समिति ने यह सलाह दी थी कि वर्ष 2013-14 के लिए 'घटे जोखिम समूह' का अंततः हानि अनुपात (ULR) 175% पर निर्धारित किया जाए। इसके पूर्व पिछले वर्ष हेतु उक्त प्रावधानीकरण के 210% रहने का अनुमान लगाया गया था। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अधीन चलने वाले सभी वाहनों के लिए (सम्पत्ति या जीवनकाल की दृष्टि से अन्य पक्ष की हानि को सुरक्षित करने वाली) अन्य पक्ष बीमा सुरक्षा आवश्यक रूप से होनी चाहिए।

जागरूकता एवं व्याप्ति बढ़ाने हेतु इर्डा जन बीमा योजना के पक्ष में

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री टी.एस. विजयन ने यह मत व्यक्त किया है कि जागरूकता बढ़ाने और तथा जन समूह के बीच बीमा क्षेत्र की व्याप्ति को सघन करने के लिए सरकार को आवश्यक रूप से एक जन बीमा योजना की शुरुआत करनी चाहिए। बीमा योजनाओं में पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से कम्पनियों को आवश्यक रूप से ग्राहकों में उनके उत्पादों के प्रति समझ पैदा करने का उत्तरदायित्व उठाना चाहिए। उत्पादों के बारे में पारदर्शिता तथा उसे समझने में ग्राहकों की सहायता करने से बीमा उत्पादों की गलत बिक्री को रोकने में सहायता प्राप्त होगी।

विदेशी मुद्रा

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से चालू खाते के घाटे के नियंत्रित होने से रुपये में मूल्यवृद्धि

रुपये में इस आशा में मूल्यवृद्धि हुई कि तेल की कीमतों में गिरावट से राष्ट्र के चालू खाते के घाटे (CAD) को नियंत्रण में रखा जा सकेगा और मुद्रास्फीति में मंदी आएगी। ब्रेंट कच्चे तेल में जून से 28% की गिरावट आई है, जिसके फलस्वरूप वह प्रति बैरल 80.15 अमरीकी डालर हो गया है, इससे

उपभोक्ता मुद्रास्फीति को अक्टूबर में घटाकर 5.52% पर लाने में सहायता प्राप्त हुई है। वर्ष में मार्च तक चालू खाते का अंतर 2% के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले 1.7% रहने की संभावना है।

**दिसम्बर, 2014 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
जमाराशियों की दरें**

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला- बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.34600	0.71000	1.10900	1.42600	1.66500
जीबीपी	0.66340	0.9470.	1.1634	1.3509	1.5045
यूरो	0.20140	0.211	0.278	0.333	0.410
जापानी येन	0.16500	0.166	0.174	0.204	0.350
कनाडाई डालर	1.47000	1.447	1.609	1.757	1.899
आस्ट्रेलियाई डालर	2.69200	2.700	2.743	2.930	3.020
स्विस फ्रैंक	0.05500	0.004	0.062	0.115	0.164
डैनिश क्रोन	0.47200	0.4929	0.5475	0.6280	0.7130
न्यूजीलैंड डालर	3.78250	3.923	4.000	4.070	4.138
स्वीडिश क्रोन	0.27600	0.333	0.416	0.555	0.669
सिंगापुर डालर	0.48000	0.763	1.120	1.413	1.630
हांगकांग डालर	0.47000	0.730	1.120	1.350	1.590
एमवाईआर	3.82000	3.820	3.850	3.880	3.930

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	21 नवम्बर, 2014 के दिन	21 नवम्बर, 2014 के दिन
	बिलियन रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	19, 485.5	314,,878. 7
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	17, 918.3	2 89, 398. 1
ख) सोना	1, 212, 1	19,738. 4
ग) विशेष आहरण अधिकार	261,2	4, 223.5
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	93.9	1, 518 .7

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ	उद्देश्य
ऐक्सिस बैंक	दक्षिण कोरिया का नांगही-अप बैंक.	भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खज़ाने, व्यापार तथा अन्य व्यवसाय में सहयोग बढ़ाना।
तमिलनाडु मर्कटाइल बैंक लिमिटेड	एसबीआई ईपे	उसके भुगतान प्रवेशमार्ग का उपयोग करना।

बासेल III - पूंजी विनियमन (क्रमशः)

बासेल-III पूंजी विनियमन पर चर्चा को जारी रखते हुए निम्नलिखित का वर्णन किया जा रहा है :

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP)

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) एक ऐसा व्यापक दस्तावेज़ होता है, [1] निम्नलिखित उपलब्ध कराता है :

- क) बैंक के जोखिमों के सम्पूर्ण वर्णक्रम के चालू मूल्यांकन के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना;
- ख) बैंक उन जोखिमों को किस प्रकार न्यूनीकृत करना चाहता है; और
- ग) उनके न्यूनीकरण कारकों की गणना के अनुसार वर्तमान एवं भावी पूंजी।

निदेशक मंडल (BOD) द्वारा विहित रूप से अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानी होती है। इसमें बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के उपयुक्त पूंजी स्तर तथा उसके जोखिम प्रबन्धन दृष्टिकोण के बारे में एक सुविज्ञ निर्णय लिए जाने हेतु समस्त सूचनाओं का समावेश होना चाहिए।

सामग्री /विषयवस्तु

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) दस्तावेज़ों में सामान्यतया इसके नीचे यथा वर्णित विविध खण्डों का समावेश होना चाहिए :

- क) कार्यपरक सारांश
- ख) पृष्ठभूमि
- ग) वर्तमान एवं अनुमानित वित्तीय और पूंजीगत स्थितियों का सारांश
- घ) पूंजी पर्याप्तता
- ङ) मुख्य संवेदनशीलताएं और भावी परिदृश्य

□ समूहन एवं विपथन

छ) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) का परीक्षण एवं अंगीकरण

ज) बैंक में आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) का उपयोग

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) के ढांचागत पहलू

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) तैयार करते समय बैंकों से निम्नलिखित का पालन किया जाना अपेक्षित होता है :

क) प्रत्येक बैंक में आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) आवश्यक रूप से मौजूद होनी चाहिए।

ख) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) में जोखिम प्रबन्धन के सिद्धांतों सहित फर्म-व्यापी जोखिम प्रोफाइल का समावेश होना चाहिए।

ग) निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबन्धन के पर्यवेक्षण

घ) नीतियों, कार्यविधियों, सीमाओं एवं नियंत्रणों

ङ) जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग

च) आंतरिक नियंत्रणों; और

छ) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) के परिणामों का निदेशक मंडल और भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुतन। आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) अधिक से अधिक सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के अंत तक भारतीय रिज़र्व बैंक को पहुंचानी चाहिए।

अन्य विशेषताएं / आवश्यकताएं

क) प्रक्रिया के कार्यान्वयन की सफलता तथा उसमें यथा-परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जानी चाहिए।

ख) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) को प्रबन्धन एवं निर्णयन संस्कृति का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

ग) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) का कार्यान्वयन सानुपातिकता के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

घ) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संश्लिष्ट एसआरईपी से अलग रूप में एक आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से नियमित और स्वतंत्र समीक्षा के अधीन लाया जाना चाहिए।

ङ) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) स्वरूप की दृष्टि से प्रगतिशील होनी चाहिए तथा बैंकों में उसके उद्देश्यों आदि को प्राप्त करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट पूंजी योजना मौजूद होनी चाहिए।

□ आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) के एक अंग के रूप में बैंक के प्रबन्धन को कुछेक ऐसी असंभाव्य घटनाओं अथवा बाज़ार के उतार-चढ़ावों / स्थितियों, जिनका बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, के प्रति बैंक की सुभेद्यता का मूल्यांकन करने हेतु दबाव-परीक्षण करना चाहिए।

छ) बैंकों को किफायती पूंजी का अनुमान लगाने और उसे बनाए रखने के लिए उपयुक्त तौर-तरीके विकसित करना चाहिए।

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) के परिचालनात्मक पहलू

- क) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) का पहला और सर्वोपरि उद्देश्य है बैंक से जुड़े विविध महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान करना, उन्हें मापना और उनकी मात्रा निर्धारित करना।
- ख) बैंक जिन जोखिमों के प्रति अनारक्षित होते हैं उनमें ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, ऋण संकेन्द्रण जोखिम तथा चलनिधि जोखिम शामिल हैं।
- ग) बैंकों को एकमात्र बाहरी साख श्रेणी-निर्धारण पर नहीं आश्रित रहना चाहिए, इसके उन्हें बंतीय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा-अनुमत संरचित उत्पादों में निवेश करते समय अन्तर्निहित जोखिमों का विश्लेषण करना चाहिए।
- घ) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) सहित बैंक की जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया इन जोखिमों के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों से सुसंगत होनी चाहिए।
- ङ) यदि बैंक जोखिम न्यूनीकरण तकनीकें अपनाते हैं, तो उन्हें जिन जोखिमों को न्यूनीकृत करना है उन्हें समझ लेना चाहिए तथा उनकी प्रवर्तनीयता और बैंक की जोखिम प्रोफाइल पर उनकी प्रभावशीलता का हिसाब लगा लेना चाहिए।
- च) सुदृढ़ दबाव-परीक्षण प्रथाएं : वह दबाव-परीक्षण जो बैंक के प्रबन्धन को जोखिमों की एक व्यापक किस्म से सम्बन्धित प्रतिकूल अनपेक्षित परिणामों के बारे में सचेत करता है और बैंकों को इस आशय का संकेत देता है कि बड़े आघातों के होने पर हानियों को अवशोषित करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसका उपयोग बैंकों द्वारा उनके आंतरिक जोखिम प्रबन्धन के एक अंग के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, दबाव-परीक्षण अन्य जोखिम प्रबन्धन दृष्टिकोणों एवं उपायों को अनुपूरित करता है।
- छ) सुदृढ़ प्रतिकर (मुआवजा) प्रथाएं : जोखिम प्रबन्धन आवश्यक रूप से बैंक की संस्कृति में अन्तर्निहित होना चाहिए तथा उसे बैंक प्रबन्धन के सघन संकेन्द्रण में होना चाहिए। समय के साथ एक व्यापक एवं गहन जोखिम प्रबन्धन संस्कृति विकसित करने और उसे बनाए रखने के लिए ऐसी प्रतिकर नीतिया तैयार की जानी चाहिए जिन्हें दीर्घकालिक पूंजी परिरक्षण और फर्म की वित्तीय शक्ति के साथ सम्बद्ध किया जा सके तथा जिसमें जोखिम-समायोजित कार्य-निष्पादन उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।
- ज) बैंकों को उनकी प्रतिकर नीतियों के सम्बन्ध में हित / जोखिम धारकों को उपयुक्त प्रकटन की व्यवस्था करनी चाहिए।
- (स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक)

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

प्रतिभूतिकरण (Securitization)

एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई एकल आस्ति या आस्तियों के समूह प्रवर्तक (बैंक) के तुलनपत्र से तात्कालिक नकद भुगतान के बदले में किसी दिवालियेपन की परोक्ष विशेष प्रयोजन संस्था (न्यास) को अंतरित किए जाते हैं।

विशेष प्रयोजन संस्था (SPV)

एक ऐसी संस्था या कम्पनी जो एक विशिष्ट प्रयोजन हेतु किसी विलेख या करार के द्वारा गठित या स्थापित कोई न्यास, कम्पनी या अन्य संस्था हो सकती है।

शब्दावली

ऋण मूल्यांकन समायोजन (CVA)

ऋण मूल्यांकन समायोजन (CVA) जोखिम-रहित पोर्टफोलियो मूल्य और उस वास्तविक पोर्टफोलियो मूल्य के बीच अंतर होता है, जो किसी प्रतिपक्ष की चूक की संभावना को ध्यान में रखता है। दूसरे शब्दों में ऋण मूल्यांकन समायोजन (CVA) प्रतिपक्ष के ऋण जोखिम का बाजार मूल्य होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मानव संसाधन सम्मेलन

संस्थान द्वारा 5 दिसम्बर, 2014 को बैंकों के मानव संसाधन / प्रशिक्षण प्रमुखों के साथ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस (IIBF), राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान (NIBM) और बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (IDBRT) की एक संयुक्त बैठक का आयोजन उसके लीडरशिप सेंटर, मुंबई में किया गया। उक्त बैठक में बैंकों के 48 मानव संसाधन / प्रशिक्षण प्रमुख उपस्थित रहे।

दिसम्बर, 2014 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	ऋण मूल्यांकन पर 11वां कार्यक्रम	8 से 12 दिसम्बर, 2014

बैंकों, बैंकिंग संस्थानों एवं वित्तीय संस्थाओं में कार्यरत प्रशिक्षकों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

4 थे अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 23से 28 फरवरी, 2015 (6 दिन) तक लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस, मुंबई में किया जाएगा। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें)

संस्थान समाचार

जेएआईआईबी और डीबीएण्डएफ परीक्षाओं के अद्यतन पाठ्यक्रम की शुरुआत

संस्थान जेएआईआईबी और डीबीएण्डएफ के अभ्यर्थियों के लिए मई / जून 2015 के बाद से अद्यतन पाठ्यक्रम के तहत परीक्षाओं का आयोजन करेगा। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें)

प्रमाणित खजाना व्यापारी पाठ्यक्रम

संस्थान ने आगामी प्रमाणित खजाना व्यापारी परीक्षाओं के लिए संस्तुत पुस्तकों से विनिर्दिष्ट अध्यायों की पहचान कर ली है। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें)

सूक्ष्म / स्थूल अनुसंधान

संस्थान द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए स्थूल अनुसंधान प्रस्ताव एवं सूक्ष्म अनुसंधान दस्तावेज आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखें।

हीरक जयन्ती और सीएच भाभा ओवरसीज रिसर्च फेलोशिप

संस्थान हीरक जयन्ती और सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च (DJCHBR) फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखें।

मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए कक्षा में शिक्षण पूरा करने की समय सीमा

निम्नलिखित उन्नत मिश्रित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए कक्षा में शिक्षण पूरा किए जाने की समय-सीमा :

- 1) प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक

- 2) प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन व्यावसायिक
 - 3) प्रमाणित ऋण (क्रेडिट) अधिकारी
- प्रमाणित खजाना व्यापारी

कक्षा में शिक्षण उन परिणामों की घोषणा की तिथि से 15 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाना आवश्यक है, जिनमें अभ्यर्थी ने निम्नलिखित उन्नत मिश्रित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी / उत्तीर्ण कर ली हो।

किसी अभ्यर्थी के निर्धारित कक्षा में शिक्षण विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा करने में असफल हो जाने की स्थिति में उक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने के उद्देश्य से उस अभ्यर्थी से यह अपेक्षित है कि वह पूर्ववर्ती ऑनलाइन परीक्षाओं में उत्तीर्ण विषय/यों के लिए श्रेय को पूर्ववर्ती रूप देते हुए ऑनलाइन परीक्षा के लिए स्वयं को पुनर्नामांकित कराए।

दिशानिर्देशों की निर्दिष्ट / अंतिम तिथि

अभ्यर्थियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल क्रमशः 30 जून और 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

-
- * भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत
 - * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15
 - * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित
-

ई-मेल के जरिये आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध

है कि वे उसे संस्थान के पास यथा-शीघ्र पंजीकृत करवा लें। आईआईबीएफ विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

बाज़ार की खबरें भारत औसत मांग दरें

8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00

01/11/14 06/11/14 08/11/14 11/11/14 15/11/14 21/11/14 22/11/14 24/11/14
25/11/14 28/11/14

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अक्टूबर, 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00

05/11/14 07/11/14 12/11/14 17/11/14 19/11/14 20/11/14 24/11/14 25/11/14
27/11/14 28/11/14

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

28800
28600
28400
28200
28000
27800
27600
27400

03/11/14 05/11/14 10/11/14 11/11/14 12/11/14 13/11/14 14/11/14 24/11/14 25/11/14
27/11/14 28/11/14

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स की से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटेर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोजेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स

कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)

मुंबई - 400 070

टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332

तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न दिसम्बर, 2014

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 7

अंक सं. : 6

जनवरी 2015

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं -----	2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां -----	3
बैंकिंग जगत की घटनाएं -----	5
विनियामकों के कथन -----	9
बीमा -----	11
उत्पाद एवं गठजोड -----	11
नयी नियुक्तियां / विदेशी मुद्रा -----	12
बासेल -III - पूंजी विनियमन -----	14
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारिं -----	15
शब्दावली -----	15
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां -----	15
संस्थान समाचार-----	16
बाजार की खबरें-----	18

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मर्दें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मर्दों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स समाचार मर्दों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

बेटों के लिए बचत खाता

सरकार ने बेटियों के लिए 'सुकन्या समृद्धि खाता' नामक एक नये लघु बचत लिखत की शुरुआत की घोषणा की है। उक्त लिखत बेटियों की शिक्षा और विवाह सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करेगा। यह खाता बेटे के दस वर्ष की आयु की होने तक उसके नैसर्गिक या विधिक अभिभावक द्वारा खोला और परिचालित किया जा सकता है, जिसके बाद वह स्वयं इसे परिचालित कर सकती है। इस खाते में रकम में अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा जमा की जा सकती हैं। खाता 1,000 रुपये जमा करके खोला जा सकता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में 1,000 रुपये की न्यूनतम और 1.5 लाख रुपये की अधिकतम जमा अपेक्षित होगी। खाते के पन्द्रह वर्ष पूरा कर लेने तक सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धिकृत ब्याज खाते में जमा किया जाएगा।

एटीएम केन्द्रों पर अंतर-बैंक निधि अंतरणों हेतु डेबिट कार्ड

किसी बैंक का ग्राहक अब अपने खाते से किसी अन्य बैंक के खाते में किसी स्वचालित टेलर मशीन (ATM) के जरिये अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से धन अंतरित कर सकता है। कुछेक बैंकों ने डेबिट कार्ड के माध्यम से अंतर-बैंक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान कर रखी है। किसी ग्राहक को बस किसी एटीएम तक जाना होता है और रकम में तथा जिस व्यक्ति को धन अंतरित किया जाना है उसके 16 अंकीय डेबिट कार्ड संख्या को पंच करना होता है। ग्राहक का खाता तत्काल नामे हो जाता है तथा उक्त कार्ड से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति के खाते में रकम जमा हो जाती है।

बैंक एटीएमों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सेवाओं की संख्या बढ़ा कर शाखाओं में आने वाले उपभोक्ताओं की संख्या घटाने का प्रयास करत रहे हैं। इंटरनेट चैनलों के माध्यम से भी निधि अंतरण की सुविधा प्रदान की जाती है, किन्तु प्रेषक को लाभार्थी का नाम जोड़ने की जरूरत पड़ती है। कार्ड से कार्ड तक की त्वरित अंतरण के विपरीत इस बाद वाली प्रक्रिया में 24 घंटे तक लग जाते हैं।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

2005 के पहले वाले नोट बदलने की समय-सीमा में विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2005 से पहले मुद्रित करेंसी नोटों को बदलने की समय-सीमा बढ़ा कर 30 जून, 2015 कर दी है। इस प्रकार के नोट उनके सम्पूर्ण मूल्य पर बदले जा सकते हैं और वे वैध मुद्रा बने रहेंगे। महात्मा गांधी श्रृंखला वाले नोट एक दशक से संचलन में रहे हैं तथा इन पुराने नोटों में से अधिसंख्यक नोट बैंक शाखाओं के माध्यम से वापस भी लिये जा चुके हैं। अतएव भारतीय रिज़र्व बैंक ने शेष बचे पुराने डिज़ाइन वाले नोटों को भी संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है। इस अभियान की शुरुआत से अब तक उसने 52,855 करोड़ रुपये मूल्य के 144.66 करोड़ ऐसे नोटों को वापस लिया है। वापसी की यह कार्यवाही एक ही समय पर कई एक श्रृंखलाओं वाले नोट संचलन में न रखने की अंतरराष्ट्रीय मानक प्रथा के अनुरूप है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस प्रक्रिया पर निगरानी रखने तथा उसका पुनरीक्षण करने का कार्य जारी रखेगा, ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकल आधार वाले प्राथमिक व्यापारियों की परिपक्वता तक धारित सीमाएं घटाईं

बाज़ार की विद्यमान स्थितियों के कारण प्रतिभूतियों की उस मात्रा को जिसे परिपक्वता तक धारित (HTM) श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, 200% से घटा कर पिछले वित्त वर्ष के अंत में प्राथमिक व्यापारी (PD) की लेखा-परीक्षित निवल स्वाधिकृत निधियों (NOF) का 100% किया जा रहा है। ये नयी सीमाएं 31 दिसम्बर, 2014 से प्रभावी हो गई हैं। उन्हें नये मानदंडों का पालन करने में समर्थ बनाने हेतु प्राथमिक व्यापारियों को नये मानदंडों का पालन करने में समर्थ बनाने हेतु उन्हें उन्हें 31 दिसम्बर, 2014 को समाप्त पिछली तिमाही के लिए परिपक्वता तक धारित श्रेणी से एक अतिरिक्त अंतरण करने की अनुमति है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस के कामकाज का समय बढ़ाया

ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेनों तथा उसके साथ ही साथ तत्काल सकल भुगतान प्रणाली में बाज़ार के अन्य दायित्वों के निपटाने को सुगम बनाने के लिए तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) के कामकाज का समय बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, 29 दिसम्बर के बाद से भारतीय रिज़र्व बैंक ने कामकाज के समय को 9:00 बजे से बढ़ा कर 8:00 बजे तक कर दिया है और तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के कामकाज की समाप्ति के समय को सप्ताह के दिन बढ़ाकर 20:00 बजे तक कर दिया है। शनिवार के दिन उक्त पटल 8:00 बजे से 15:30 बजे तक खुला रहेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए टीआरईडीएस सम्बन्धित नये मानदंड जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारिक प्राप्य राशियों की भुनाई की एक ऐसी प्रणाली गठित करने हेतु मानदंड जारी किए हैं, जिससे बड़े कारपोरेटों तथा सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य खरीदारों से बहुविध वित्तपोषकों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्तीयन में सुविधा प्राप्त होगी। भारतीय रिजर्व बैंक टीआरईडीएस प्रणाली गठित करने हेतु 13 फरवरी, 2015 तक आवेदन प्राप्त करेगा। चूंकि टीआरईडीएस को किसी प्रकार का ऋण जोखिम उठाने की अनुमति नहीं होगी, उसकी न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 25 करोड़ रुपये होगी। प्रवर्तकों के अतिरिक्त कम्पनियां टीआरईडीएस की इक्विटी पूंजी के 10% से अधिक शेयरधारिता नहीं कर सकतीं। टीआरईडीएस के रूप में परिचालन करने की पात्र बनने के लिए कम्पनियों और उनके प्रवर्तकों को वित्तीय सुदृढ़ता और व्यवसाय संचालन के बारे में कम से कम पांच वर्ष का पिछला अच्छा रिकार्ड रखना होगा। टीआरईडीएस लागू हो जाने पर माल के अंतिम उत्पादक से भुगतान प्राप्त करने हेतु 90 से 120 दिनों तक प्रतीक्षा करने वाला कोई आपूर्तिकर्ता प्राप्य राशियों को भुनाने तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि से परिचालित प्लेटफार्म में प्रारंभिक भुगतान प्राप्त करने में समर्थ होगा। टीआरईडीएस से बीजकों एवं विनिमय बिलों की भुनाई की सुविधा प्राप्त होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व-प्रदत्त कार्ड सीमा दोगुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया

इसके पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों (PPI) के प्रवर्तन एवं परिचालन के बारे में ऐसे दिशानिर्देश जारी किए थे जिनमें इस बात का उल्लेख था कि किसी भी पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत का न्यूनतम मूल्य 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। उसमें इस बात का भी उल्लेख था कि पूर्णतः अपने ग्राहक को जानिए अनुपालक तथा स्वरूप की दृष्टि से पुनर्भरणीय 50,000 रुपये तक के सीमित अवधि वाले पूर्व-प्रदत्त लिखत जारी किए जा सकते हैं और पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत में शेष राशि को किसी भी समय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इस श्रेणी के तहत जारी किए जा सकने वाले पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत की सीमा अब 50,000 रुपये से बढ़ा कर 1 लाख रुपये कर दी गई है। पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत में शेष राशि को किसी भी समय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपहार कार्डों की अधिकतम वैधता एक वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा पूर्णतः अपने ग्राहक को जानिए अनुपालक बैंक खाते से आश्रित या परिवार के सदस्य को कई एक पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत जारी किए जाने की भी अनुमति दी है। एक लाभार्थी को केवल एक ही कार्ड जारी किया जा सकता है। बैंक पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों से सम्बन्धित संदेहास्पद लेनदेनों पर निगरानी रखने और वित्तीय आसूचना एकक भारत (FIU IND) को रिपोर्ट करने हेतु व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार के पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही जारी किए जाएंगे।

सफेद लेबल वाले एटीएमों के सम्बन्ध में दिशानिर्देश

सफेद लेबल वाले एटीएमों (WLAs) को अब कार्ड भुगतान नेटवर्क योजनाओं (पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत प्राधिकृत) के अधीन जारी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट / डेबिट / पूर्व-प्रदत्त कार्डों को स्वीकार करने की अनुमति है। सफेद लेबल वाले एटीएम प्रचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने सम्बन्धित कार्ड नेटवर्क प्रचालकों के साथ या तो सीधे ही या फिर उनके प्रायोजक बैंकों के माध्यम से तकनीकी संयोजकता स्थापित कर रखी है। किसी अन्य कार्ड योजना के तहत जारी कार्डों के मामले में प्रेषण और निपटान मौजूदा प्राधिकृत नेटवर्कों द्वारा की गई द्विपक्षीय व्यवस्था के आधार पर सम्पन्न होगा। इसके अलावा, सफेद लेबल वाले एटीएमों में अंतरराष्ट्रीय कार्डों के उपयोग के लिए गतिशील मुद्रा परिवर्तन (DCC) की सुविधा की अनुमति देने हेतु मुद्रा परिवर्तन दर केवल किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक से प्राप्त की जाएगी। प्रायोजक बैंक की व्यवस्थाओं से नकदी आपूर्ति को असम्बद्ध करने में समर्थ बनाने के लिए अब सफेद लेबल वाले एटीएम प्रचालक सफेद लेबल वाले एटीएमों को नकदी की आपूर्ति करने हेतु अन्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। जहां नकदी सफेद लेबल वाले एटीएम प्रचालक द्वारा स्वाधिकृत होगी, वहीं उस नकदी की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व नकदी आपूर्तिकर्ता बैंक पर होगा।

मानकीकृत मोबाइल बैंकिंग परिचालन

मोबाइल बैंकिंग को सीवन-रहित एवं प्रयोक्तोनुकूल बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के पंजीकरण और कार्यशील होने में लगने वाले समय को न्यूनीकृत करने तथा उसके साथ ही एटीएमों, इंटरनेट बैंकिंग और मेलरों के माध्यम से सरल पंजीकरण सुविधा प्रदान करने की सलाह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक यह महसूस करता है कि मोबाइल बैंकिंग के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने (ऑन -बोर्डिंग) से सम्बन्धित कार्यविधियों में बेहतर मानकीकरण लाए जाने की आवश्यकता है। ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग समझाने के लिए बैंकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना आवश्यक है। उनके लिए ग्राहकों से मोबाइल बैंकिंग के लिए उनके मोबाइल नम्बरों को शाखा स्तर और अन्य संपर्क केन्द्रों में पंजीकृत कराने का भी अनुरोध करना जरूरी है। एमपिन सृजन और इस प्रक्रिया की अभिगम्यता को व्यापक बनाने के उद्देश्य से बैंक विविध चैनलों / पद्धतियों को अपना सकते हैं, यथा -

- 1) एटीएम चैनल
- 2) मोबाइल बैंकिंग के लिए यूएसएसडी मेनू (स्वयं अपने यूएसएसडी प्लेटफार्म और उसके साथ ही मोबाइल बैंकिंग हेतु अंतर-परिचालनीय यूएसएसडी प्लेटफार्म -दोनों) में दिए गए विकल्प के माध्यम से
- 3) आवश्यक सुरक्षोपायों सहित बैंकों की अपनी इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट
- 4) एमपिन मेलरों (कार्डों हेतु पिन मेलरों की भांति) के उपयोग
- 5) उद्योग की पहलकदमी के रूप में साझी वेबसाइट भी तैयार की जा सकती है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का चार्टर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहक अधिकारों का एक ऐसा चार्टर जारी किया है जिसमें बैंक ग्राहकों के संरक्षण हेतु व्यापक मेहराबदार सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं तथा बैंक ग्राहकों के पांच मूलभूत अधिकारों को प्रतिज्ञापित किया गया है। ये अधिकार हैं : (i) उचित व्यवहार का अधिकार; (ii) पारदर्शिता, न्यायोचित एवं ईमानदार लेनदेन का अधिकार; (iii) अनुकूलता/उपयुक्तता का अधिकार; (iv) निजता का अधिकार; और (v) परिवाद निवारण एवं प्रतिकर (मुआवजे) का अधिकार।

बैंक अब अस्थिर दर पर उधार लेते हैं

अब तक बैंक अपनी अल्पावधिक जरूरतों के लिए निधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक से एक स्थिर पुनर्खरीद (रेपो) दर पर लिया करते थे। हालांकि, अब बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी अधिकांश अल्पावधिक जरूरतों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से बाज़ार दरों के निकट वाली दर पर उधार लें। ऊर्जित पटेल समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर, 2013 में मीयादी पुनर्खरीद व्यवस्था को अपना लिया। ऐसा इसलिए किया गया था, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को स्थिर दर पर असीमिति निधियां नहीं देना चाहता था और वह अपनी नीतिगत दर में परिवर्तनों को उधारकर्ताओं तक शीघ्रता से पहुंचाना चाहता था। पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी पुरानी पुनर्खरीद सुविधा पर बैंकों की निर्भरता को उनके द्वारा उधार ली जा सकने वाली रकम को सीमित करके घटा दिया था। इसके बजाय कमी को उसके द्वारा रखी गई मीयादी पुनर्खरीद नीलामियों (7 और 14 दिवसीय अवधियों के लिए की जाने वाली) द्वारा पूरा किया जाता है। बैंक एक-दिवसीय निधियां वे जिन दरों पर उधार लेना चाहते हों उसके लिए बोली लगा कर उधार ले सकते हैं।

अनर्जक आस्तियों को इक्विटी में परिवर्तित करने हेतु मानदंड

चूंकि बैंक ऋणों से सम्बन्धित कारपोरेट चूकों के मामले में अपने विपद्ग्रस्त कर्जों को इक्विटी में परिवर्तित करना चाहते हैं, वित्तीय विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारतीय रिज़र्व बैंक ऋणदाताओं द्वारा इस प्रकार की शेयर खरीदियों के लिए एक व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अशोध्य ऋणों को वसूल करने हेतु कर्ज को इक्विटी में परिवर्तित करने वाली व्यवस्था का संकेत दिया है।

एटीएम पर्चियों और एसएमएसों के शीघ्र ही हिन्दी में मिलने की संभावना

बैंक लेनदेनों से सम्बन्धित संदेश और स्वचालित टेलर मशीनों (ATMs) में पर्चियां शीघ्र ही हिन्दी में मिल सकती हैं। राजभाषा विभाग ने वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवाएं विभाग को प्रेषित हाल के एक

पत्र में कहा है कि "बैंकों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि ई-मेल और एसएमएसों के जरिये ग्राहकों को भेजी जाने वाली सूचना हिन्दी में हो।"

असहयोगी उधारकर्ताओं के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक का रुख

बैंक ऋणों को चुकाने का सामर्थ्य होने के बावजूद वैसा न करने वाले उधारकर्ताओं के समक्ष असहयोगी के रूप में वर्गीकृत किए जाने का जोखिम उपस्थित हो गया है। चूककर्ता उधारकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य वाली भारतीय रिज़र्व बैंक की इस मुहिम से यह सुनिश्चित होगा कि असहयोगी के रूप में वर्गीकृत कम्पनियों को नयी निधियां नहीं प्राप्त होंगी। असहयोगी उधारकर्ता वह होता है जो ऋणदाताओं के उनकी प्राप्य राशियों को वसूल करने के प्रयासों से जान-बूझ कर बचता है। एक अतिरिक्त उल्लेख के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी उधारकर्ता को असहयोगी के रूप में वर्गीकृत / गैर-वर्गीकृत करने तथा ऐसे चूककर्ताओं से सम्बन्धित सूचना की रिपोर्ट बड़े ऋणों से सम्बन्धित केन्द्रीय सूचना संग्राहक को भेजने हेतु मानदंड भी निर्धारित किया है।

बैंकों द्वारा उधार दोगुना बढ़ कर 63 लाख करोड़ रुपये हुआ

इस वित्तीय वर्ष के द्वितीयार्ध में सितम्बर के अंत से वाणिज्यिक बैंकों ने एक वर्ष पहले की उसी अवधि में प्रदत्त रकम का दोगुना उधार दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 31 दिसम्बर, 2014 के दिन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों की रकम 63 लाख करोड़ रुपये थी। यह स्तर 10.88 % की वर्षानुवर्ष वृद्धि का निरूपण करता है, जो पिछली तिमाही में दर्ज 11.6% की वर्षानुवर्ष वृद्धि से कम है। हालांकि, निरपेक्ष दृष्टि से बैंकों ने एक वर्ष पहले की इसी अवधि में उनके द्वारा दिए गए 64,800 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले सितम्बर अंत से 1.4 लाख करोड़ रुपये अधिक उधार दिया है। यद्यपि बैंकों को अब भी ऋणों में कुछ अनुभवगम्य वृद्धि दर्शाना शेष है, तथापि मूलभूत सुविधा, विशेषतः सड़क क्षेत्र को ऋणों में तेजी के लक्षण दिखाई देने के कारण उनकी ऋण बहियों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी परिलक्षित हो रही है।

जन-धन के अधीन लाभ पाने हेतु किसी नये खाते की जरूरत नहीं

वित्त मंत्रालय के एक वक्तव्य के अनुसार पहले से बैंक खाता रखने वाले लोगों के लिए प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु नया खाता खोलने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल दुर्घटनात्मक बीमे के लाभ प्राप्त करने हेतु उनके मौजूदा खाते में जारी रूपे कार्ड प्राप्त करना होगा। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मौजूदा खाते में प्रदान की जा सकती है। 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के सभी कार्डधारकों को 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा उपलब्ध होगा। इस लाभ को प्राप्त करने हेतु रूपे कार्ड का उपयोग उसकी प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर कम से कम एक बार किया जाना होगा।

आढ़तिया फर्म अब अपने व्यवसाय को विविधीकृत कर सकती हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्य व्यवसाय मानदंडों के शिथिल किए जाने के परिणामस्वरूप अब लेनदारी लेखा क्रय (आढ़तिया) सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियां अपने व्यवसाय को विविधीकृत कर सकती हैं। नये मानदंडों के अनुसार आढ़तिया कम्पनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लेनदारी लेखा क्रय सेवा व्यवसाय में उनकी वित्तीय आस्तियों में उनकी सकल आय के कम से कम 50% (इसके पूर्व 75% के मुकाबले) का समावेश हो। लेनदारी लेखा क्रय सेवा प्रदान करने वाली फर्म व्यावसायिक संस्थाओं / कम्पनियों (माल के विक्रेताओं) की प्राप्य राशियों को बट्टे पर अभिगृहीत करने के व्यवसाय में संलग्न एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी होती है, जिसके द्वारा वह उक्त कम्पनी की तत्काल अनिरुद्ध (liquid) होने में सहायता करती है। इसके बदले में उक्त कम्पनी उधार की अवधि समाप्त हो जाने पर क्रेता से प्राप्य राशियों को वसूल करती है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 10 करोड़ आधार कार्डों को बैंक खातों से सम्बद्ध किया

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय वित्तीय मैपर ने 10 करोड़ बैंक खातों को आधार संख्याओं से जोड़ने का कीर्तिस्तंभ पार कर लिया है। इससे सरकारी विभागों / एजेन्सियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के हिताधिकारियों तक पहुंचने की सुविधा प्राप्त हुई है। उक्त मैपर उस आधार भुगतान सेतु (APB) प्रणाली पर पहुंच जाता है, जो जनवरी, 2013 में सक्रिय हुई थी। इस आधार भुगतान सेतु प्रणाली के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एक ओर तो सरकारी विभागों और तेल विपणन कम्पनियों जैसी अन्य सरकारी एजेन्सियों तथा उनके प्रायोजक बैंकों और दूसरी ओर लाभार्थी बैंकों और अंतिम हिताधिकारी को जोड़ देता है। भुगतान सेतु प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को देश की सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों में सादगी और नवोन्मेष लाने के उसके समग्र कार्य क्षेत्र के भीतर देश के वित्तीय रूप से अपवंचित खण्ड तक पहुंचने में समर्थ बनाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को दी मौजूदा परियोजना ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करने की अनुमति

मूलभूत सुविधा और मुख्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को मौजूदा परियोजनाओं को उधार देने में ऋण पुनर्वित्तीयन हेतु उपलब्ध नकदी प्रवाहों के अनुरूप लचीला रुख अपनाने की अनुमति दी है। यह सुविधा अनर्जक ऋणों के लिए भी उपलब्ध होगी। अब तक आवधिक पुनर्वित्तीयन के विकल्प सहित परियोजना ऋणों की लचीली पुनर्व्यवस्थापन की सुविधा केवल 15 जुलाई, 2014 के बाद परियोजनाओं के लिए स्वीकृत नये ऋणों हेतु ही उपलब्ध थी। नये ऋणों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुकौती अवधि के सम्बन्ध में कोई उच्चतम सीमा या न्यूनतम सहमत सीमा नहीं निर्धारित की थी। भारतीय रिज़र्व बैंक की इस मुहिम से मूलभूत सुविधा और मुख्य क्षेत्र की उन कम्पनियों को लाभ होगा जिनके पास कुछेक लाख करोड़ रुपये के मूल्य वाली परियोजनाएं हैं, क्योंकि बैंक अब एक विस्तारित अवधि हेतु ऋण प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, केवल उन्हीं परियोजनाओं को दिए गए सावधि ऋण ही इसप्रकार के लचीले संरचनात्मक पुनर्वित्तीयन के पात्र होंगे जिनमें समस्त संस्थागत ऋणदाताओं के समग्र एक्सपोजर 500 करोड़ रुपये से अधिक हों।

भारतीय रिज़र्व बैंक 3,000 रुपये से कम के लेनदेनों हेतु द्विचरणीय सत्यापन समाप्त कर सकता है

एक ऐसी कार्रवाई जो उभरते ई-वाणिज्य उद्योग को बढ़ावा दे सकती है, में भारतीय रिज़र्व बैंक 3,000 रुपये से कम के ऑनलाइन लेनदेनों के लिए द्विचरणीय सत्यापन को समाप्त कर सकता है। वर्तमान में कोई भी ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले प्रयोक्ताओं से एकबारगी पासवर्ड देना या फिर 3डी सुरक्षित प्रणाली का उपयोग करना अपेक्षित होता है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शीघ्र ही ऑनलाइन से जुड़े लेनदेनों के सम्बन्ध में नये दिशानिर्देश जारी किए जाने की आशा है। बताया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ऑनलाइन लेनदेनों के लिए ईएमवी-समर्थित क्रेडिट / डेबिट कार्डों के उपयोग को अनिवार्य बनाने पर भी विचार कर रहा है। बैंकों द्वारा ऑनलाइन लेनदेनों के लिए इनकी शुरुआत पहले ही कर दी गई है।

20 वर्षों के बाद 1रुपये का कगजी नोट वापस आने वाला है

भारत सरकार ने एक रुपये के करेंसी नोट नियम, 2015 के मुद्रण को अधिसूचित किया है, जो 1 जनवरी, 2015 से प्रभावी होगा। अपेक्षाकृत अधिक लागत के कारण और उच्चतर मूल्यवर्ग वाले नोट मुद्रित करने की क्षमता को मुक्त रखने के लिए 1 रुपये के नोटों का मुद्रण नवम्बर, 1994 में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद फरवरी, 1995 में 2 रुपये का तथा नवम्बर, 1995 में 5 रुपये का नोट भी बंद कर दिया गया था। तब से इन मूल्यवर्गों के लिए केवल सिक्के ही जारी किए गए हैं। हालांकि, पुराने नोट अब भी संचलन में हैं और वे वैध मुद्रा बने हुए हैं।

ऋण वृद्धि

ऋण विश्लेषण और अनुसंधान लिमिटेड (CARE) की श्रेणी-निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-नवम्बर अवधि में ऋण वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 7.3% की वृद्धि के मुकाबले 4.5% रही। इस धीमी गति का कारण मंद सकल घरेलू उत्पाद एवं औद्योगिक वृद्धि रहे। वृद्धिशील दृष्टि से ऋण का स्तर पिछले वर्ष की अप्रैल - नवम्बर वाली अवधि में दर्ज 3.86 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 2.9 लाख करोड़ रुपये रहा। कृषि और वैयक्तिक ऋण क्षेत्रों में ऋण में उच्चतर वृद्धि परिलक्षित हुई, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कमतर वृद्धि दिखाई पड़ी। कृषि क्षेत्र में मार्च - अक्टूबर 2014 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 5% की वृद्धि के मुकाबले 11.2% की वृद्धि परिलक्षित हुई। उद्योग क्षेत्र में ऋण-उठाव में पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 5.7% की तुलना में अपेक्षाकृत मंद वृद्धि परिलक्षित हुई। इसका कारण 1.9% की कमतर औद्योगिक वृद्धि और उच्चतर ब्याज दरें हो सकती हैं।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक ई-वाणिज्य सौदों के लिए दिशानिर्देश तैयार कर रहा है

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर खान ने बताया है कि शीर्ष बैंक ई-वाणिज्य लेनदेनों से सम्बन्धित विविध चिंताओं के निराकरण हेतु एक व्यवस्था करने की दिशा में कार्यरत है और वह शीघ्र ही अंतरों, यदि कोई हो, को पाटने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन की पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा कि "ई-वाणिज्य एक ऐसी चीज है जिसे आप नजरंदाज नहीं कर सकते। इससे कुछेक मुद्दे जुड़े हैं और हम उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं।"

भारतीय रिज़र्व बैंक सॉवरेन बॉण्डों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाएगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय बैंक ने सॉवरेन बॉण्डों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का एक कार्यक्रम तैयार कर लिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों, अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और सरकारी प्रतिभूतियों में दीर्घकालिक निवेशकों द्वारा सॉवरेन बॉण्डों में विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा 30 बिलियन अमरीकी डालर है। जहां डॉ. राजन ने किसी नयी सीमा का उल्लेख नहीं किया है, वहीं विस्तार का कार्यक्रम पूंजी अंतर्वाहों को अवशोषित करने के देश के सामर्थ्य के अनुरूप होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का पुनरीक्षण करने के बाद विदेशी बैंकों को इमदादीकरण हेतु प्रेरित करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी बैंकों के लिए नियत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार मानदंडों का उसके द्वारा पुनरीक्षण कर लिए जाने के बाद उन्हें इमदादीकरण मार्ग अपनाने हेतु प्रेरित करेगा। विदेशी बैंकों ने उनके द्वारा पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कम्पनी (WOS) का ढांचा अपना लिये जाने पर उन पर लागू की जाने वाली बाध्यताओं के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की है। मूल चिंताएं प्राथमिकता प्राप्त उधार के उन दायित्वों से सम्बन्धित हैं जो कृषि, लघु उद्योगों और शिक्षा जैसे विशेष क्षेत्रों को बैंक उधार अनिवार्य बना देते हैं। वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों की पुनरीक्षा वाली प्रक्रिया से गुजर रहा है। डॉ. राजन के अनुसार देश में प्रवेश करने वाले नये विदेशी बैंक पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कम्पनी योजना के ढांचे में आएंगे। अगस्त 2010 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी बैंकों को उनकी शाखाओं को पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों में रूपांतरित करना होगा। हालांकि यह रूपांतरण उन बैंकों के लिए स्वैच्छिक है जो भारत में 2010 से पहले से परिचालनरत हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक चालू खाते के घाटे के बारे में सतर्क है, उससे चिंतित नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बढ़ते चालू खाते के घाटे (CAD) के प्रति सतर्क रहता है, यद्यपि वह उसके बारे में शंकालु नहीं रहता। चालू खाते का घाटा बढ़ कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% हो गया है, किन्तु उन्हें यह आंकड़ा सहज लगता है।

उन्होंने यह भी कहा है कि सोने का आयात बढ़ गया है; तेल की घटती कीमतों ने कुछ उपधान उपलब्ध कराया है। यह देखने का अच्छा समय है कि सोने पर प्रतिबंध हटाने का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि प्रतिबंधों को काफी लम्बे समय तक बनाए रखना कठिन होता है।

बीमा

अब बीमा विनियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है

बीमा प्राधिकरण से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के रूप में पुनर्नामित किया गया है। बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित किया गया था, में कुछेक परिवर्तन किए गए हैं, जिनकी परिणति नाम में परिवर्तन में हुई है। उक्त अध्यादेश ने अन्य बातों के साथ ही बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत करने में भी समर्थ बनाया है।

इर्डा ने समूह स्वास्थ्य बीमा कीमत-निर्धारण के मानदंडों को कठोर बनाया

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने समूह स्वास्थ्य जोखिमों के सम्बन्ध में अपने मानदंडों को कठोर बना दिया है। चूंकि समूह स्वास्थ्य के लिए उद्योग-व्यापी 'बर्निंग कास्ट' भारतीय बीमा आसूचना ब्यूरो के पास उपलब्ध नहीं है, बीमाकर्ताओं को इसप्रकार के जोखिमों की हामीदारी करते समय विस्तृत प्रकटन करना चाहिए। विनियामक ने कहा है कि यदि कोई बीमाकर्ता स्वयं अपने विगत अनुभवों के आधार पर किसी विशिष्ट जोखिम की बर्निंग कास्ट का उपयोग करना चाहता है और उक्त जोखिम इसके पूर्व अन्य बीमाकर्ताओं में निहित था, तो निदेशक मंडल को निदेशक मंडल को उसकी भी रिपोर्ट दी जानी चाहिए। बर्निंग कास्ट आगामी बीमा अवधि में दावों की अनुमानित लागत होती है। बीमाकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग स्वयं अपने को ऐसे अपेक्षाकृत बड़े दावों से संरक्षित करने हेतु किया जाता है, जो प्रदत्त प्रीमियमों से अधिक होते हैं। किसी समूह स्वास्थ्य जोखिम की हामीदारी करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा है कि जब तक भारतीय बीमा आसूचना ब्यूरो उद्योग-व्यापी बर्निंग कास्ट का निर्धारण नहीं कर देता सभी बीमाकर्ता किसी समूह स्वास्थ्य जोखिम की हामीदारी करते समय सामान्य बीमा परिषद द्वारा तैयार किए गए सूचना आरूप का किसी अपवाद के बिना उपयोग करेंगे। किसी पॉलिसी की हामीदारी करने से पहले प्रस्तावक से अतिरिक्त सूचना भी मांगी जा सकती है।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ	उद्देश्य
फेडरल बैंक लिमिटेड	कोटक लाइफ इंश्योरेंस .	शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु विद्या सुरक्षा की शुरुआत करना।
अमेरिकन एक्सप्रेस	जेट एअरवेज	लघु एवं मध्यम कम्पनियों और उनके कार्यपालकों की व्यावसायिक यात्रा और उससे जुड़े खर्चों के सम्बन्ध में पर्याप्त बचत करने में सहायता करना।
दि सारस्वत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड	एवेन्यूज इंडिया प्रा. लि.एण्ड आईबीआईबीओ वेब प्रा. लि.	व्यापारियों को ऑनलाइन खरीदारी हेतु ऑनलाइन भुगतान करना।
आईडीबीआई बैंक	एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लि. (NDML)	किसी बीमा रिपोजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई बीमा पॉलिसियों के हिस्से की अनुमति देना।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री पी. श्री निवास	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
श्री आर. कोटेश्वरन	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक
श्री अनिमेष चौहान	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
श्री किशोर कुमार सांसी	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विजया बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	19 दिसम्बर, 2014 के दिन	19 दिसम्बर, 2014 के दिन
	बिलियन रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2

कुल प्रारक्षित निधियां	20, 147.8	3,19,,997.5
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	18, 634.1	2 95,670.9
ख) सोना	1, 176, 6	18,985. 2
ग) विशेष आहरण अधिकार	264,8	4, 199.0
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	72.1	1, 142 .4

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

जनवरी, 2015 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.44600	0.89300	1.29500	1.56700	1.76900
जीबीपी	0.65370	0.9330.	1.15365	1.3274	1.4455
यूरो	0.18350	0.181	0.222	0.286	0.364
जापानी येन	0.16380	0.164	0.175	0.201	0.240
कनाडाई डालर	1.48000	1.461	1.588	1.702	1.811
आस्ट्रेलियाई डालर	2.53000	2.420	2.415	2.600	2.690
स्विस फ्रैंक	0.62500	0.125	0.080	0.018	0.088
डैनिश क्रोन	0.43200	0.4375	0.4950	0.5736	0.6690
न्यूजीलैंड डालर	3.78000	3.840	3.910	3.960	4.008
स्वीडिश क्रोन	0.25500	0.288	0.388	0.513	0.660
सिंगापुर डालर	0.77000	1.110	1.455	1.730	1.920
हांगकांग डालर	0.56000	1.000	1.380	1.650	1.850
एमवाईआर	3.83000	3.830	3.900	3.990	4.050

स्रोत : www.fedai.org.in.

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में वित्त वर्ष 15 की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज -3.16 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़ोतरी

भारतीय रिज़र्व बैंक से जारी आकड़ों से पता चला है कि 26 दिसम्बर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 3.16 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई, जो 2014-15 में अब तक की सर्वाधिक साप्ताहिक वृद्धि है। 19 दिसम्बर, 2014 के दिन विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 320 बिलियन अमरीकी डालर थीं, जो उस सप्ताह में 3.16 बिलियन अमरीकी डालर अधिक रहीं। प्रारक्षित

निधियों में वर्षानुवर्ष 24.49 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्ज हुई। विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 33.3 बिलियन की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाज़ार से डालरों की खरीद की होगी। व्यापक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक 2014 में हाजिर और वायदा, दोनों ही बाज़ारों में डालरों का निवल खरीदार रहा है। विदेशी निवेशक मुख्य रूप से ऋण बाज़ार में अमरीकी डालरों का निवेश करते रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2014 में अब तक बॉण्डों में 26.2 बिलियन अमरीकी डालर लगाए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इक्विटियों में भी लगभग 16 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है।

बासेल III - पूंजी विनियमन (क्रमशः)

बासेल-III पूंजी विनियमन पर चर्चा को जारी रखते हुए निम्नलिखित का वर्णन किया जा रहा है :

बाज़ार अनुशासन - (स्तंभ -3)

बाज़ार अनुशासन को प्रकटन आवश्यकताओं के एक समुच्चय का पैदा होना कहा जाता है, ताकि बाज़ार के सहभागी आवेदन, पूंजी, जोखिम एक्सपोजरों, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं के क्षेत्र से सम्बन्धित सूचना के मुख्य अंशों और उसके फलस्वरूप संस्था की पूंजी पर्याप्तता को प्राप्त कर सकें। बाज़ार अनुशासन एक सुरक्षित एवं सुदृढ़ बैंकिंग वातावरण के निर्माण में योगदान कर सकता है। इसलिए, निर्धारित प्रकटन आवश्यकताओं के अननुपालन पर वित्तीय जुर्माना सहित जुर्माना लगता है। बैंकों के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक ऐसी औपचारिक प्रकटन नीति होनी चाहिए जो बैंक कौन से प्रकटन करेगा यह निर्धारित करे तथा प्रकटन प्रक्रिया पर आंतरिक नियंत्रणों से सम्बन्धित मुद्दों का निराकरण करे।

बासेल III के तहत यथा-प्रवर्तित स्तंभ 3 के प्रकटन 01-07-2013 से प्रभावी होंगे और यथा-अपेक्षित प्रकटनों का पहला समुच्चय बैंकों द्वारा (31 मार्च, 2017 के बाद वाले टेम्पलेट जिन पर अलग से चर्चा की गई है, के अपवाद सहित) 30-09-2013 के दिन किया जाना चाहिए। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे स्तंभ 3 के प्रकटन इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वित्तीय विवरण लेखा-परीक्षित हैं या नहीं, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम, सभी बैंकों के मामले में सामान्य प्रकटन तथा ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत आने वाले पोर्टफोलियो के लिए प्रकटन के अपवाद सहित कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर करें। बैंकों द्वारा ये प्रकटन कम से कम तिमाही आधार पर किए जाने चाहिए। सभी प्रकटन आवश्यक रूप से या तो बैंकों के प्रकाशित वित्तीय परिणामों / विवरणों में या न्यूनतम रूप से बैंक की वेबसाइट पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे ये प्रकटन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आरूप में करें। बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे अपनी वेबसाइट पर एक ऐसा विनियामक प्रकटन खण्ड बनाए रखें जिसमें प्रकटन से सम्बन्धित समस्त सूचना बाज़ार के सहभागियों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह लिंक वेबसाइट के मुख्यपृष्ठ पर प्रमुखता के साथ दर्शाया जाना चाहिए, ताकि उस तक पहुंच को आसान बनाया जा सके। बैंकों द्वारा उनकी वेबसाइटों पर पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधियों से सम्बन्धित कम से कम तीन वर्षों के टेम्पलेटों का एक पुरालेखागार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

दिवालियापन असम्बद्ध (Bankruptcy remote)

विशेष प्रयोजन संस्था/वाहन (SPV) के सृजन के संदर्भ में विधिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि प्रतिभूतिकरण के प्रवर्तक के दिवालिया हो जाने और उसकी आस्तियों के परिसमाप्त हो जाने की स्थिति में विशेष प्रयोजन संस्था और उसकी आस्तियों को कोई आंच न आए।

ऋण वृद्धि (Credit enhancement)

ये विशेष प्रयोजन संस्था को प्रतिभूत आस्तियों के समूह से होने वाली संभाव्य हानियों से बचने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं होती हैं। यह प्रवर्तक या अन्य पक्ष द्वारा दी जाने वाली ऋण जोखिम सुरक्षा होती है और यह किसी प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में निवेशकों के लिए उद्दिष्ट होती है।

शब्दावली

गतिशील मुद्रा परिवर्तन (Dynamic Currency Conversion)

गतिशील मुद्रा परिवर्तन (DCC) या कार्डधारक को अधिमान्य मुद्रा (CPC) एक ऐसी वित्तीय सेवा होती है जिसमें क्रेडिट कार्डों के धारक किसी विदेशी मुद्रा में भुगतान करते समय परिवर्तन लागत को बिक्री केन्द्र में अपनी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित करवा लेते हैं। यह ग्राहकों को उनके कार्ड पर प्रभारित की जाने वाली स्वयं उनकी गृह मुद्रा में व्यक्ति वास्तविक रकम देखने की सुविधा प्रदान करता है, किन्तु विनिमय दर सामान्यतया उनकी क्रेडिट कार्ड कम्पनी द्वारा दी जाने वाली दर की तुलना में कम अनुकूल होती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जनवरी, 2015 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	बैंकों में वसूली प्रबन्धन	15 से 17 जनवरी, 2015 (3 दिन)
2	सहकारी बैंकों के लिए खजाना प्रबन्धन	15 से 17 जनवरी, 2015 (3 दिन)

बैंकों, बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थाओं प्रशिक्षकों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

4थे अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 23 से 28 फरवरी, 2015 तक (6 दिन) लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस, मुंबई में किया जाएगा। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।)

संस्थान समाचार

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

डॉ. जिवेन्दु नारायण मिश्र ने 15 दिसम्बर, 2014 को संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में सेवारंभ कर दिया है। संस्थान में आने से पहले डॉ. मिश्र भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबन्ध निदेशक एवं कारपोरेट विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

मई / जून 2015 परीक्षाओं से अद्यतन पाठ्यक्रम की शुरुआत

जेएआईआईबी और बैंकिंग एवं फाइनेंस (B&F) में डिप्लोमा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को उन परिवर्तनों के कारण अद्यतन कर दिया गया है जो बैंकिंग एवं फाइनेंस के क्षेत्र में हुए हैं। जेएआईआईबी और बैंकिंग एवं फाइनेंस में डिप्लोमा परीक्षाओं के लिए उक्त पाठ्यक्रम मई / जून और उसके बाद वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा। अद्यतन पाठ्य-समग्री (अध्ययन सामग्री) जनवरी, 2015 के अंत तक बाजार में उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए आचरण संहिता

संस्थान ने हाल ही में आरंभ किए गए मिश्रित पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आचरण संहिता जारी करना आरंभ कर दिया है और उन्हें उसका पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

हीरक जयन्ती और सीएच भाभा ओवरसीज रिसर्च फेलोशिप

संस्थान हीरक जयन्ती और सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च (DJCHBR) फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखें।

सूक्ष्म / स्थूल अनुसंधान

संस्थान द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए स्थूल अनुसंधान प्रस्ताव एवं सूक्ष्म अनुसंधान दस्तावेज आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखें।

दिशानिर्देशों की निर्दिष्ट / अंतिम तिथि

अभ्यर्थियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल क्रमशः 30 जून और 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

-
- * भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत
 - * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15
 - * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * प्रेषण तिथि प्रत्येक माह की 25 से 28 तक
-

ई-मेल के जरिये आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास यथा-शीघ्र पंजीकृत करवा लें। आईआईबीएफ विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

बाज़ार की खबरें भारित औसत मांग दरें

9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00

01/12/14 06/12/14 08/12/14 10/12/14 13/12/14 15/12/14 17/12/14 19/12/14
20/12/14 26/12/14

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अक्टूबर, 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00

01/12/14 05/12/14 10/12/14 11/12/14 15/12/14 17/12/14 19/12/14 22/12/14
30/12/14 31/12/14

अमरीकी डालर

यूरो

100 जापानी येन

पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

29000

28500
28000
27500
28000
27800
27000
26500

03/12/14 09/12/14 10/12/14 11/12/14 12/12/14 16/12/14 19/12/14 22/12/14 23/12/14
24/12/14 31/12/14

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. जे.एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल-II,, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स

कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)

मुंबई - 400 070

टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332

तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज्ञान जनवरी, 2015

Mrs. Preeti A. Tiwari
101, Gorai Shree Sahyog CHS Ltd.
Plot No.. 36, RSC 19, Gorai-II
Borivali (west) , MUMBAI -400091

BILL

Charges for Hindi Translation and Hindi Typing for 8 pages printed matter Pertaining to I.I.B.F- Vision, DECÈMBER, 2014 & JANUARY, 2015 Issues @ lump-sum rate of Rs. 3,000/ per issue. (Rs 3,000 X 2 = Rs. 6,000/	Rs. 6,000.00
	Rs. 6,000.00

(Rupees Six Thousand Only)

(MRS. PREETI A. TIWARI)

